

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यवहार वाद क0-31ए/16
संस्थापित दिनांक 27-07-16
फाईलिंग नं.233504002602016

1. सुक्कन पिता भिक्कन, उम्र 68 वर्ष, जाति-ढीमर,
 नि0पो0 बाजिदपुर, तह0 बडोत, जिला बागपत (उ0प्र0),
 हॉल निवासी ग्राम डोडावानी, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----वादी

—:: विरुद्ध ::—

1. रामनाथ पिता जमधू यादव, उम्र 55 वर्ष,
 2. बट्टी पिता रामनाथ यादव, उम्र 35 वर्ष,
 3. शिवनाथ पिता रामनाथ यादव, उम्र 21 वर्ष,
 4. भागरती जौजे रामनाथ यादव, उम्र 45 वर्ष,
 5. भग्गो जौजे रामनाथ यादव, उम्र 40 वर्ष,
 6. बत्ती जौजै बट्टी यादव, उम्र 30 वर्ष
- सभी-जाति गौली, नि0 ग्राम डोडावानी,
 तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)।

-----प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 30/11/2016 को घोषित)

1— वादी द्वारा यह दावा विवादित भूमि ग्राम डोडावानी प0ह0नं0 44 ब0नं0 148 रा0नि0मं0 बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं 242 रकबा 0.462 हे0 भूमि का स्वत्व आधिपत्धारी होकर उक्त भूमि में प्रतिवादीगण केद्वारा पूर्व दिशा की ओर 15x10=150 वर्गफुट पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस पर वादी हस्तक्षेप न करें एवं आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।

2— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व, व आधिपत्य

की भूमिस्वामी हक की कृषि भूमि ख०नं० २४२ रकबा ०.४६२ हेक्टे० ग्राम डोडावानी प०ह०नं० ४४ ब०नं० १४८ रा०नि०मं० बोरदेही, तह० आमला, जिला बैतूल में स्थित है, जिसके उत्तर में कच्चा बैलगाडी रास्ता, दक्षिण में रामनाथ की भूमि पूर्व में शासकीय भूमि तथा पश्चिम में कच्चा बैलगाडी रास्ता स्थित है जिसे वादपत्र में आगे वादोक्त कृषि भूमि से संबोधित किया गया है। वादी ने दिनांक २४/०५/१६ के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित भूमि को क्रय कर भूमि स्वामी हक प्राप्त किया है। दिनांक १६/०६/१६ को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उपरोक्त वादोक्त कृषि भूमि में पूर्व दिशा की ओर $15 \times 10 = 150$ वर्गफुट भूमि पर अवैध कब्जा करने के आशय से पाया खोदकर कच्चा मकान बनाने का कार्य शुरू किया है जो वर्तमान में भी जारी है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में क, ख, ग, घ में दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा वादपत्र का अभिन्न अंग है। प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे अवैध मकान निर्माण कार्य को रोकने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ अश्लील गाली गलौच कर जान से खतम करने की धमकी देते हुये कहा कि तू यूपी का रहने वाला है, वह तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उसकी जमीन पर मकान बनाकर रहेगें जिसकी शिकायत वादी द्वारा तत्काल थाना आमला में करने पर थाना आमला द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की उसके बाद वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे बलपूर्वक अवैध निर्माण कार्य को रोकवाने हेतु वादी ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक २४/०५/२०१६ के आधार पर तहसीलदार आमला के समक्ष प्रतिवादी रामनाथ के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की जिस पर नायब तहसीलदार आमला ने मामला कं०-१९२/बी-१२१ वर्ष २०१५-१६ दर्ज कर राजस्व निरीक्षक बोरदेही से वस्तु स्थिति का जाँच प्रतिवेदन बुलवाया।

३- नायब तहसीलदार आमला द्वारा मामला कं०-१९२/बी-१२१ वर्ष २०१५-१६ में राजस्व निरीक्षक बोरदेही द्वारा दिनांक २१/०६/१६ को प्रतिवादीगण तथा पंचों की उपस्थिति में मौका की जाँच कर स्थल जाँच प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा बनाकर नायब तहसीलदार आमला के समक्ष प्रकरण में प्रस्तुत कर दिया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन पंचनामा नक्शा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रतिवादी रामनाथ द्वारा वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि $15 \times 10 = 150$ वर्गफुट भूमि पर कच्चा ईंटों का मकान बनाने का कार्य शुरू किया है जो चालू होकर वादी की भूमि में अतिक्रमण है, जिसे तत्काल हटाया जाना उचित है लेकिन नायब तहसीलदार आमला द्वारा उक्त मौका जाँच प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा तथा वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीयत विक्रयपत्र को अनदेखा कर प्रतिवादी रामनाथ के दबाव में मात्र उस आधार पर दिनांक ३०/०६/२०१६ को वादी के आवेदन पर चल रहे प्रकरण को निरस्त कर दिया कि विवादित भूमि वादी के नाम

पर राजस्व अभिलेख में पंजीयत विक्रयपत्र के आधार पर दर्ज नहीं हुई है जबकि नायब तहसीलदार आमला के समक्ष वादी के पक्ष में नामान्तरण की प्रक्रिया विचाराधीन थी जिसमें नायब तहसीलदार आमला वृत्त बोरदेही द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 04/07/2016 को नामान्तरण किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा वादी की कृषि भूमि में संलग्न नजरी नक्शे में क, ख, ग, घ से दर्शित भाग पर बिना किसी अधिकार के गड़डा खोदकर कच्चे मकान का निर्माण बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के माह दिनांक 16/06/2016 को शुरू कर दिया है। और वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से मना किया जाता है तो वह गाली गलौच कर मारपीट कर झगडा करने को आमादा हो जाता है। वादी की कृषि भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाए जाने पर यह व्यवहार वाद आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।

4- दिनांक 08/11/16 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

5- वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एक पक्षीय निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:-

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

01- "क्या वादी की स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम डोडावानी प0ह0नं0 44 ब0नं0 148 रा0नि0मं0 बोरदेही, तह0 आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 242 रकबा 0.462 हे0 भूमि जो वाद पत्र में संलग्न नक्शा क,ख,ग,घ से दर्शित है, के भाग पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है?"

02- "क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?"

03- "सहायता एवं वाद व्यय?"

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0-1 का निराकरण::—

6- वादी साक्षी सुक्कन (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 16/06/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उपरोक्त कृषि भूमि में पूर्व दिशा की ओर $15 \times 10 = 150$ वर्गफुट भूमि पर अवैध कब्जा करने के आशय से पाया खोदकर कच्चा मकान बनाने का कार्य किया जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी

नक्शे में क,ख,ग,घ से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध मकान निर्माण कार्य को रोकने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ अश्लील गाली गलौच कर जान से खत्म करने की धमकी देते हुये कहा कि तू यूपी का रहने वाला है, वह तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उसकी जमीन पर मकान बनाकर रहेंगे। जिसकी शिकायत वादी ने तत्काल थाना आमला में की लेकिन थाना आमला द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसके बाद वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे बलपूर्वक अवैध निर्माण कार्य को रोकवाने हेतु वादी ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 24/05/2016 के आधार पर तहसीलदार आमला के समक्ष प्रतिवादी रामनाथ के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की जिस पर नायब तहसीलदार आमला (वृत्त बोरदेही) ने मामला दर्ज कर राजस्व निरीक्षक बोरदेही से वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन बुलवाया, जिसमें राजस्व निरीक्षक बोरदेही द्वारा प्रतिवादीगण तथा पंचों की उपस्थिति में मौका की जांच कर स्थल जांच प्रतिवेदन पंचनामा, नक्शा बनाकर नायब तहसीलदार आमला (वृत्त बोरदेही) के समक्ष प्रकरण में प्रस्तुत कर दिया।

7— राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उक्त स्थल जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि प्रतिवादी रामनाथ द्वारा वादी की कृषि भूमि में $15 \times 10 = 150$ वर्गफुट भूमि पर कच्चा ईंटों का मकान बनाने का कार्य शुरू किया है जो चालु होकर वादी की भूमि में अतिक्रमण है, जिसे तत्काल हटाया जाना उचित है। लेकिन नायब तहसीलदार आमला (वृत्त बोरदेही) द्वारा उक्त मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा तथा वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीयत विक्रयपत्र को अनदेखा कर प्रतिवादी रामनाथ के दवाब में मात्र इस आधार पर वादी के आवेदन पर चल रहे प्रकरण को निरस्त कर दिया कि विवादित भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में पंजीयत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नहीं हुई है। जबकि नायब तहसीलदार आमला के समक्ष वादी के पक्ष में नामान्तरण की प्रक्रिया विचाराधीन थी जिसमें नायब तहसीलदार आमला वृत्त बोरदेही द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 04/07/2016 को नामान्तरण किया जा चुका है। उक्त साक्ष्य के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से खंडन नहीं किया गया है।

8— वादी साक्षी शिवकुमार (वा0सा0-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि सुक्कन की उक्त जमीन पर रामनाथ और उसके परिवार वालों ने लगभग $15 \times 10 = 150$ वर्गफुट भूमि पर अवैध कब्जा कर कच्चा मकान बनाने का कार्य किया है। सुक्कन ने जब रामनाथ और उसके परिवार वालों को ऐसा करने से रोका तो रामनाथ और उसके परिवार वाले सुक्कन के साथ अश्लील गाली गलौच कर जान से खत्म करने की धमकी देते हुये कहा कि तू यू.पी. का रहने वाला है वह तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उसकी जमीन

पर मकान बनाकर रहेंगे। गांव के लोगों ने भी रामनाथ और उसके परिवार वालों को समझाया था लेकिन वे लोग नहीं माने। रामनाथ और उसके परिवार वालों को सुक्कन की जमीन में दखल देने से रोका जावे जिसके लिये सुक्कन ने मामला डाला है। उसी प्रकार वादी साक्षी विष्णु (वा०सा०३) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है। इस प्रकार वादी के साक्ष्य का उक्त दोनों गवाहों ने समर्थन किया है।

9— वादी ने अपने समर्थन में प्र०पी० 1, प्र०पी० 2, प्र०पी० 3 का किश्तबंदी खतौनी, खसरा वर्ष 2016-17 एवं नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 242 रकबा 0.462 सुक्कन पिता भिक्कन का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्र०पी० 4 तहसील न्यायालय बोरदेही के समक्ष राजस्व निरीक्षक बोरदेही के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन है। प्र०पी० 5 का दस्तावेज पंचनामा प्र०पी० 6 का दस्तावेज नक्शा प्रस्तुत किया गया है। प्र०पी० 4 के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आवेदक सुक्कन पिता भिक्कन, जाति कहार, नि० डोडावानी, तह० आमला, जिला बैतूल म०प्र० का निवासी है। जिसने ग्राम डोडावानी में खसरा क्रं 242 रकबा 0.462 हे० भूमि कय की है। अनावेदक रामनाथ पिता जमदू यादव 15X10=150 वर्गफिट पर कच्चा ईंटों का मकान बनाया है जो अतिक्रमण हैं एवं वर्तमान में मकान का फिनिशिंग किया जा रहा है। उक्त तथ्य प्र०पी० 5 के पंचनामा में भी उक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है इस प्रकार प्र०पी० 4 एवं प्र०पी० 5 के दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 242 रकबा 0.462 भूमि जो वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा क,ख,ग,घ, भाग पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर 15X10=150 वर्गफिट पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादी की कृषि भूमि ग्राम डोडावानी प०ह०नं० 44 ब०नं० 148 रा०नि०मं० बोरदेही, तह० आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 242 रकबा 0.462 हे० भूमि स्वत्व आधिपत्य की भूमि के वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा क,ख,ग,घ पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर 15X10=150 वर्गफिट पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण

11— विचारणीय प्रश्न क्रं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि खसरा नं. 242 रकबा 0.462 हे० भूमि में जो कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा क,ख,ग,घ, पर प्रतिवादीगण द्वारा 15X10=150 वर्गफिट पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी

परिस्थिति में वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकरण विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

12— वादी अपना दावा प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिक्री एवं आज्ञा पारित की जाती है।

1— वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के स्वत्व की भूमि ग्राम डोडावानी प0ह0नं0 44 ब0नं0 148 रा0नि0मं0 बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 242 रकबा 0.462 हे0 भूमि में वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा क,ख,ग,घ, दर्शाया गया है जो 15X10=150 वर्गफिट भूमि पर स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से निर्माण कार्य व हस्तक्षेप न करें।

3— वादी स्वयं का वाद व्यय वहन करेगा।

4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।

उपरोक्तानुसार आज्ञा पारित बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0